भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि तथा विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. एल एंड डी ओ/एफ-24013/3/2013-सी डी एन/120. दिनांकः 23.05.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः भूमि तथा विकास कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत दिल्ली/नई दिल्ली में 'ए' टाइप वासगृह (टेनमेंट्स) के लिए संपरिवर्तन शुल्क की दरों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 01.04.2000 से दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा प्रशासित भूमि की दरों के निर्धारण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने, भूमि दर संशोधन समिति (एल आर आर सी) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपर सचिव (यू डी) की अध्यक्षता में इन सिफारिशों के स्वीकार करने और 01.04.2000 से आगे भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा प्रशासित आवासीय भूमि की दरों को, आवासीय सम्पत्तियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि दरों के संपरिवर्तन के संरेखन का निर्णय लिया है। इन दरों का परिचालन दिनांक 2.मई.2017 के पत्र सं. एल एंड डी ओ/एफ-24013/3/2013-सी डी एन/106 के तहत पहले ही किया जा चुका है। 'ए' टाइप वासगृह (टेनमेंटस) के लिए संपरिवर्तन शुल्क की दरों को, इन दरों के आधार पर संशोधित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

15.02.2006 से प्रभावी

वासगृहों की श्रेणी/वर्ग मीटरों में फ्लैट का कुर्सी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी/पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र
1. 'सी' टाइप वासगृह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. 'ए' टाइप वासगृहः				
i) प्रथम तल	10,500	31,200	41,700	52,050
ii) भूमि तल	14,850	44,250	58,950	73,650

12.08.2011 से प्रभावी

वासगृहों की श्रेणी/वर्ग मीटरों में फ्लैट का कुर्सी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी/पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र
1. 'सी' टाइप वासगृह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. 'ए' टाइप वासगृहः				
i) प्रथम तल	15,750	46,800	62,550	78,075
ii) भूमि तल	22,275	66,375	88,425	1,10,475

संजीव कुमार वेदवार

2. इसे भूमि तथा विकास अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजीव कुमार बब्बर

(एस. के. बब्बर)
उप भूमि तथा विकास अधिकारी

सेवा में,

1. सभी उप भूमि तथा विकास अधिकारी/अभियंता अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायता अभियंता
2. सभी सम्पत्ति अनुभाग/आई ए सी/लेखा

प्रतिः

1. भूमि तथा विकास अधिकारी के निजी सचिव को
   भूमि तथा विकास अधिकारी की सूचना के लिए।